# 45 वर्षों में भी मंजूरशुदा कॉलोनी के नसीब में सरकारी महकमों के ब्लैकमेल से मुक्ति नहीं

**पेज एक का शेष**

की मौजूदगी में होगी। खरीदार जो ड्राफ़्ट लायेंगे वे बैंक के एस्क्रो अकाउंट में जायेंगे जिसमें से निगम व टाऊन प्लानिंग वाले अपनी 12 करोड़ की वसूली करने के बाद शेष अनुमानित 8 करोड़ सोसायटी के लिये छोड़ देंगे। जाहिर है इतनी साफ़-सुथरी योजना के चलते लकड़बग्घों के पल्ले तो कुछ पड़नेवाला तो था नहीं, लिहाज़ा नीलामी को रोक दिया गया।

**सोसायटी ने लाइसेंस फ़ीस आदि रोकी क्यों थी?**

राज्य सरकार ने सोसायटी की करीब 18 एकड़ ज़मीन मनोरंजन स्थल बनाने के नाम पर (मुख्यमंत्री भजन लाल के समय) अधिग्रहीत कर ली थी, इसी को दोबारा रिहायशी सेक्टर के लिये और तीसरी बार संस्थागत इस्तेमाल हेतु अधिग्रहण किया गया। इसी ज़मीन के 5 एकड़ में राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्धन संस्थान (एनआईएफ़एम) का निर्माण केन्द्र सरकार ने किया, करीब डेढ एकड़ ज़मीन सड़क (मस्जिद चौक से बड़खल रोड तक) निर्माण में चली गयी। बाकी ज़मीन सरकार ने काफ़ी ड्रामेबाज़ी के बाद सोसायटी को रिलीज कर दी।

सड़क व एनआईएफ़एम वाली साढे 6 एकड़ का मुआवज़ा देने के बदले सरकार ने सोसायटी से करार किया था कि वह सोसायटी की तमाम लाइसेंस फ़ीस व अन्य देनदारियां समायोजित कर देगी। लेकिन सरकार अपने वायदे से मुकर गयी अपनी लेनदारियों पर मनमाना जुर्माना व उस पर ब्याज लगाती चली गयी। इन हालात में सोसायटी हाई कोर्ट चली गयी तो कोर्ट के आदेश पर पुरानी दरों पर और उसका भी आधा ही मात्र 25 लाख मुआवज़ा सोसायटी को मिला। इसे लेकर सोसायटी फ़िर हाई कोर्ट में अवमानना का केस लेकर खड़ी है। दरअसल हाई कोर्ट भी '**नालायक का बस्ता भारी**' वाली कहावत पर ही चल रही है। इसके चलते अनेकों बार सोसायटी और सरकार हाई कोर्ट में आमने-सामने हो चुके है। और मामला निपटने में नहीं आ रहा। एक बार तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने खुली अदालत में नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा तक कह कर बुरी तरह से लताड़ा था, लेकिन परिणाम जीरो रहा यानी मामला जहां का तहां।

**7 एकड़ पर फ़िर सरकार की गिद्ध दृष्टि**

सरकार द्वारा 3 बार अधिग्रहीत हो चुकने के बाद रिलीज 7 एकड़ ज़मीन का एक टुकड़ा सोसायटी के गेट नम्बर 1 के सामने खाली पड़ा है। सोसायटी ने इस पर चारदिवारी बना कर कब्ज़ा कायम रखा हुआ है। इस बेशकीमती भूखंड को सोसायटी से छीन कर सरकार व उसके लकड़बग्घे मोटा माल मारने की फ़िराक में हैं। इसके चलते सोसायटी को प्लॉट में कोई काम नहीं करने दिया जा रहा। मजे की बात तो यह है कि इसी भूखंड के साथ लगती सैंकड़ों एकड़ बड़खल गांव की ज़मीन को 3-3 बार मुआवज़ा देकर सरकार अधिग्रहीत कर चुकी है। उसके बावजूद भू माफ़ियाओं ने उसमें प्लॉटिंग करके लोगों को बेच दी है। सरकार की तहसील ने रजिस्ट्रियां भी कर दीं और सैंकड़ों की संख्या में वहां मकान भी बन चुके हैं।

**बिल्डर माफ़िया से मिल कर नंगा नाचता एमसीएफ़**

पूरी तरह विकसित एवं साफ़-सुथरी इस सैनिक कॉलोनी को अपने अधिकार में लेकर दसियों वर्ष से मोटा गृह कर तो एमसीएफ़ (नगर निगम) वसूलता आ रहा है लेकिन बदले में रत्ती भर सुविधा भी नहीं दे रहा। गृह कर एवं अन्य करों के अलावा निगम नक्शे पास करने की बैध फ़ीस तो वसूलता ही है साथ में अवैध धंधों की मोटी लूट कमाई भी इसके अधिकारी कहते हैं।

**पिछले दिनों सबसे बड़ा मामला सैनिक कॉलोनी में बिल्डरों द्वारा ऐसे बहु-मंजिला नक्शे न केवल पास कराने का आया बल्कि कम्पलीशन सर्टिफ़िकेट तक देने का आया जिनकी नींव तक नहीं खोदी गयी थी। सोसायटी को जब इस गोरख धंधे की भनक लगी तो एक ही दिन में ऐसे 52 नक्शे रद्द कराये लेकिन इस के लिये जिम्मेदार किसी अधिकारी का कुछ नहीं बिगड़ा। दरअसल ये बिल्डर एमसीएफ़ से मिल कर कानून की उल्लंघना करके बहुमंजिला फ़्लैट बना कर लोगों को बेच कर निकल लेते हैं जिसे भुगतना पड़ता है सोसायटी एवं उसके निवासियों को। इसके विरुद्ध भी सोसायटी 2015 से हाई कोर्ट में लगातार जा रही है। हाई कोर्ट के आदेशों पर एमसीएफ़ को बहुत मजबूरी में कुछ फ़्लैटों को तोड़ना भी पड़ा था। लेकिन इसके लिये किसी भी अफ़सर को ज़िम्मेदार ठहरा कर सज़ा नहीं दी गयी। इसलिये एमसीएफ़ लकड़बग्घे अभी भी पूरी मस्ती में हैं।**

सैनिक सोसायटी सहकारिता के नियमों पर आधारित एक संस्था है जिसमें पूरे लोकतान्त्रिक तरीके से निदेशकों व चेयरमैन का चुनाव होता है। सहकारिता विभाग बाकायदा इसका ऑडिट करता है। सरकार की हर देनदारी इसने सदैव समय पर चुकाई है। जो कोई बकाया है भी उसे भी वह चुकाना चाहती है; परन्तु सोसायटी की अच्छी-खासी परिसम्पत्तियां तमाम सरकारी व गैर सरकारी लकड़बग्घों को आकर्षित करती हैं हर कोई उन्हें लूट कर खाना चाहता है।

## रिश्वत में डूबे एमसीएफ़ वाले कुछ नहीं समझते हाई कोर्ट को भी

समझें भी क्यों? जब उनका बिगड़ता ही कुछ नहीं तो वे क्यों परवाह करें हाई कोर्ट के आदेशों की? गत 2 वर्षों से सैनिक सोसायटी वाले हाई कोर्ट के चक्कर मात्र इसलिये लगा रहे हैं कि हरियाणा सरकार 2009-10 में अपनी ही बनाई भवन निर्माण सम्बन्धित नीतियों का पालन करे।

सोसायटी को दरअसल एमसीएफ़ (नगर निगम) की इस गुंडागर्दी व रिश्वतखोरी से भयंकर परेशानी है जिसके द्वारा एमसीएफ़ अधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित नियमों को ताक पर रख कर धड़ाधड़ अवैध निर्माण कराने में जुटे थे। मोटी रिश्वतें डकार कर अवैध निर्माणों के नक्शे व कम्पलीशन पास किये जा रहे थे।

हाई कोर्ट के आदेश पर करीब 3-4 माह पूर्व भी एमसीएफ़ वाले कॉलोनी में अवैध निर्माणों को सील करने का ड्रामा कर गये थे। इस ड्रामे की आड़ में निगम वाले अच्छी-खासी वसूली कर के ले गये थे। सोसायटी फ़िर हाई कोर्ट में यह बताने पहुंची कि उनके आदेशों की क्या फ़जीहत हो रही है। लेकिन हाई कोर्ट ने अपनी फ़जीहत की कोई चिन्ता किये बिना नगर निगम को फ़िर से कार्यवाही करने के आदेश दिये। इनकी पालना करने पहुंचे एमसीएफ़ अधिकारी पुनः कार्यवाही करने के बदले 'उगाही' करके लौट गये। विरोध में सोसायटी वाले फ़िर हाई कोर्ट पहुंचे और 18 अप्रैल की तारीख लेकर वापस आ गये।

यदि हाई कोर्ट अपनी फ़जीहत से बचाना व याचिकाकर्ताओं को वास्तव में राहत देना चाहती तो एमसीएफ़ एवं सरकार के जिम्मेदार अफ़सरों को सीधे जेल भेजती व मोटे जुर्माने करती, फ़िर देखते कि कौन हाईकोर्ट के आदेशों की की फ़जीहत करने की हिम्मत करता। लेकिन हाई कोर्ट ऐसा करने लगे तो फ़िर वहां फ़ाइलों का ढेर व काम का तथाकथित बोझ कैसे रहेगा? दूर-दूर से आने वालों का मेला हाई कोर्ट में कैसे लगेगा??

## हरियाणा के सिखों की अकालियों द्वारा अनदेखी- विर्क

**करनाल, 16 मार्च (प्रवीण कुमार)** सिख समाज जागरूक मिशन हरियाणा के अध्यक्ष सोहन सिंह विर्क ने पंजाब के अकालियों पर हरियाणा के सिखों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि अनदेखी जारी रही तो हरियाणा का सिख चुप नही बैठेगा।

विर्क, डेरा कार सेवा में आयोजित की गई बैठक के बाद पत्रकारो से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान हरियाणा के सिख बाहुल्य क्षेत्रों में समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके इसके लिए अच्छे शिक्षण संस्थान खोले जाने एंव समाज को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने के लिए अस्पताल खोले जाने पर चर्चा की गई। उन्होंने खेद जताते हुए कहा कि सिख समाज के नेताओ ने इस ओर कोई ध्यान नही दिया।

विर्क ने शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी का राजनैतिक तौर इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा नही किया जाना चाहिए और हरियाणा के गुरूद्वारों के पैसों का सदुपयोग होना चाहिए। उन्होंने शिरोमणी अकाली दल को कटघरे में खडा करते हुए कहा कि शिरोमणी अकाली दल का फर्ज बनता है कि वह हरिययणा के गुरूद्वारों का पैसा हरियाणा के सिखों पर ही खर्च करें। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब के बादल परिवार ने हरियाणा संगत की ओर नहीं ध्यान दिया और हरियाणा के गुरूद्वारों में समाज के लोगों को रोजगार न दिया तथा सिख संगत की अनदेखी जारी रखी तो हरियाणा का सिख चुप नही बैठेगा। उन्होंने बताया कि मिशन सिख समाज को जागरूक करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है जिसके निकट भविष्य में साकारत्मक परिणाम सामने आएंगे।

## राजस्थान राज्यपाल कल्याण सिंह की नातिन की शादी अलीगढ़ में बहुत ही 'सादगी' से सम्पन्न

**(मज़दूर मोर्चा ब्यूरो)**

भाजपा के सूट-बूट नायक नरेंद्र मोदी दस लाख के नामधारी सूट के लिए जाने जाते हैं। भला पार्टी के अन्य छोटे-बड़े किरदार पीछे क्यों रहें।

**कल्याण सिंह की नातिन के विवाह समारोह में गृह-मंत्री राजनाथ सिंह हेलीकाप्टर से , मुख्य मंत्री योगी स्टेट प्लेन से, स्वयं कल्याण सिंह स्टेट प्लेन से, राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी और राज्यपाल हरियाणा चार्टर प्लेन से, बिहार के राज्यपाल कार से, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड स्टेट प्लेन से, पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र हेलीकॉप्टर से, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र नाथ हेलिकॉप्टर से पधारे।**

महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविद वायुसेना के बेड़े से शिरकत करने पहुंचे। इसके अतिरिक्त कितने ही जनसेवकों की आमद भी हुई। अफ़सरान तो थे ही।

सभी की रिहर्सल हुई, दस हज़ार सुरक्षाकर्मियों की कई दिन पहले से तौनाती हुयी। नगर में निषेधाज्ञा लागू थी। शहर सीमा में नो एंट्री।

अब ये मत कहिये कि पहले भी ऐसा ही होता आया है। क्या कोई परिवर्तन की पहल कर सकता है जिससे कुछ उम्मीद बंधे या सब यूँ ही चलता रहेगा।

प्रश्न सिर्फ़ इसलिए कि पैसा आम आदमी का ही लगता है।

यदि ये माननीय अपने पैसे ख़र्च करके आते तो मिसाल बनती।

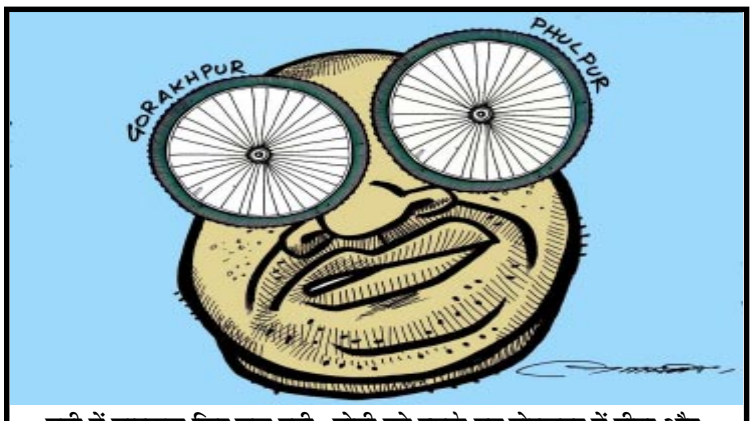


**यूपी में साइकल फिर चल पड़ी- योगी को उसके गढ़ गोरखपुर में पीटा और फूलपुर की सीट भी छीन ली भाजपा से। लेकिन इसके साथ समाजवादियों की वही पुरानी गिरोहबाज बॉडी लैंग्वेज लौट आई दिखती है, जबकि वोटर ने योगी के भगवा दंभ को औकात दिखाई, न कि अखिलेश के पांच साला भ्रष्ट गुंडाराज को माफ किया! लगता है उनमें प्रायश्चित का माद्दा ही नहीं है।**


## घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

**आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्क़त हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:**

**अन्य बिक्री केन्द्र :**

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. 5 ई-18 नरेन्द्र बुक सेन्टर - 9810229192
5. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
6. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
7. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
8. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207
9. सिंगला मेडिकल स्टोर, जवाहर कॉलोनी, डिस्पोजल चौक
10. आरसीएम स्टोर, बाबा बालकनाथ मंदिर वाली गली, जवाहर कालोनी, फ़रीदाबाद


## डाक से मजदूर मोर्चा मंगवाने वाले पाठकों से अनुरोध

**डाक द्वारा मजदूर मोर्चा प्राप्त करने वाले स्थानीय पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी प्रति प्राप्त करने के लिए अपने हॉकर से सम्पर्क करें, क्योंकि 12 फरवरी से साप्ताहिक होने केपश्चात- अखबार को डाक द्वारा भेजना संभव नहीं हो पा रहा है।**

# ऐसा कोई बैंक नहीं, एसआरएस ने जिसको ठगा नहीं

**पेज एक का शेष**

सर्विसेज प्रा लि को इंडिया बुल्स ने 2017 में 3 करोड़, स्वामी हाईटेक प्रोजेक्टस लिमिटेड को 2009 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2010 में 8 करोड़, त्रिशूल ड्रीम होम्स को सिंडीकेट बैंक ने 2015 में 41 करोड़ 71 लाख, यूनिक ऑटो रबर उद्योग को कोटक महेंद्रा बैंक ने 2017 में 1 करोड़ 22 लाख, वर्षा मेटल फिनिशर्स को ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने 2017 में 65 लाख, वशिष्ठ एस्टेट लिमिटेड को पंजाब नैशनल बैंक ने 2015 में 6 करोड़ का लोन दिया था।

**बैंक चुप क्यों हैं**

दस्तावेजों को देखने से पता चलता है कि एसआरएस ग्रुप ने सबसे ज्यादा पैसा सरकारी बैंकों का मारा है। सरकारी बैंकों के आला अफसर रिश्वत और सुरा सुंदरी के दम पर सेट किए जाते हैं। सरकारी पैसा अफसरों या किसी लाला की जेब से निकलता नहीं है। चूंकि बैंक सरकारी हैं इसलिए अफसर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर या तो ट्रांसफर हो चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं। किसी एक की जवाबदेही तय नहीं है। मामला ट्रिब्यूनल में जाने के बाद वैसे भी बैंक कोई कार्रवाई जल्दी तय नहीं करते हैं। इसीलिए अनिल जिंदल और उसका खानदान बेफिक्र है।

**60 एफआईआर के बावजूद गिरफ्तारी नहीं**

अनिल जिंदल, उसके बेटे प्रतीक जिंदल व खानदान के अन्य लोगों पर लगभग 60 एफआईआर दर्ज हो चुकी है लेकिन किसी एक एफआईआर पर कार्रवाई नहीं हुई है। लगता है कि पुलिस उसे पकड़ना नहीं चाहती। पिछले पुलिस कमिश्नर हनीफ क़ुरैशी और केंद्रीय मंत्रियों के आशीर्वाद के कारण पुलिस अनिल जिंदल को हाथ लगाने से कतरा रही है।

**मंत्री है या बिचौलिया**

**कुछ इन्वेस्टरों का जब पैसा डूब गया और पुलिस अफसर भी पैसा नहीं दिलवाया पाए तो इनवेस्टर एक केंद्रीय मंत्री से भी मिले। मंत्री ने अनिल जिंदल से उन चंद इनवेस्टरों की मीटिंग कराई। जिंदल के इशारे पर मंत्री ने कहा कि जितने पैसे जिस इनवेस्टर को मिल रहे हैं, वह ले ले और अपना रास्ता देखे। कहीं ये न हो कि ये पैसा भी चले जाए। बेचारे वो इनवेस्टर अपना थोड़ा पैसा लेकर वापस लौट आए। पर, अब उन इनवेस्टरों ने तौबा कर ली है कि अगले चुनाव में मंत्री के बच्चे को एक फूटी कौड़ी की मदद नहीं दी जाएगी।**

**...तो जिंदल कहां है**

अनिल जिंदल, प्रतीक जिंदल सहित पूरा खानदान इस वक्त फरीदाबाद से बाहर है। मजदूर मोर्चा में खबर आने के बाद से पूरा खानदान फरीदाबाद छोड़कर चला गया है। सेक्टर 14 स्थित अनिल जिंदल की कोठी में सिर्फ दो महिलाएं हैं। घर के बाहर ढेरों नोटिस चिपके हुए हैं। घर के बाहर कुछ बांउसर तैनात हैं। जिससे कोई प्रवेश नहीं कर सके। सूत्रों ने बताया कि मंगलवार-बुधवार को अनिल जिंदल को चंडीगढ़ में देखा गया, जहां वह अपनी अग्रिम जमानत की कोशिश में जुटा हुआ था। कम से कम फरीदाबाद पुलिस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताना चाहिए कि अनिल जिंदल की उसे कितने मामलों में तलाश है।

फरीदाबाद पुलिस बताए कि क्या उसने अभी तक अनिल जिंदल को पूछताछ के लिए तलब किया।...

फरीदाबाद पुलिस चाहे तो उसे सार्वजनिक रूप से प्रेस के जरिए समय देते हुए संबंधित थाने में उपस्थित होने के लिए कह सकती है।...लेकिन पता नहीं क्यों नये पुलिस कमिश्नर अमिताभ ढिल्लों भी खुद को असहाय पा रहे हैं।